न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
156 / 14	01.09.2014	23.04.2018

बइजलास :– तारामती वैष्णव (आर.ए.एस.)

उनवान

कंचन बेवा रामनारायण जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थीया

बनाम

1. औंकार पुत्र ग्यारस्या मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1. बाबूलाल पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी देवपुरा जिला कोटा
   1/2. रेखा पुत्री औंकार पत्नी दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी सुवासा जिला बूंदी
   1/3. प्रकाश बाई पुत्री औंकार जाति मीणा निवासी बरगू जिला कोटा
   1/4. रमेश पुत्र औंकार मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/4/1. मुकेश पुत्र रमेश
   1/4/2. मनोज पुत्र रमेश
   1/4/3. सोनू आत्मज रमेश नाबालिग
   1/4/4. रिंकू आत्मज रमेश नाबालिग जरिये वली माता गीताबाई
   1/4/5. गीता बाई बेवा रमेश जाति मीणा निवासीगण ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. महेश पुत्र रामनारायण जाति मीणा
3. सन्जू पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासीगण देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. लटूर पुत्र गोपाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
   4/1. नरेश कुमार पुत्र लटूर
   4/2. चन्द्रकला पुत्री लटूर
   4/3. जानकी पुत्री लटूर जाति मीणा निवासीगण देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
5. बाबूलाल पुत्र गोपाल
6. नट्टी बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी देवपुरा जिला कोटा
7. गीता बाई पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी ढगारिया तहसील दीगोद जिला कोटा
8. सरपंच ग्राम पंचायत दीगोद जिला कोटा
9. राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
10. महावीर पुत्र धन्नालाल जाति मीणा
11. रघुवीर पुत्र धन्नालाल जाति मीणा
12. सुरेश पुत्र धन्नालाल जाति मीणा
13. सुनीता पुत्री धन्नालाल जाति मीणा
14. रुकमणी बाई बेवा धन्नालाल जाति मीणा
15. लटूरी बाई पुत्री मूलीलाल जाति मीणा
16. बसन्ती बाई पुत्री मूलीलाल जाति मीणा

17. रमेश बाई पुत्री मूलीलाल जाति मीणा निवासीगण झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा

—प्रतिपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण—

1. श्री मायाराम स्वामी प्रार्थीया की ओर से
2. श्री रघुवीर वैष्णव प्रति0 नं0 1, श्री आबिद खान प्रति0 नं0 5, श्री गिरिराज मीणा प्रति0 नं0 6, श्री रामबाबू दाधीच प्रति0 नं0 10 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना—पत्र

—:: आदेश ::—

प्रार्थीया ने जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन इस कथन के साथ पेश किया कि अदालत मातहत ने कंचन व गुलाब का फोती इंतकाल नं0 936 खोलकर उनकी भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम दर्ज किये जानें का आदेश प्रदान करनें में त्रुटि की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि गुलाब व कंचन ग्यारस्या की पुत्री व बेवा है इस कारण ग्यारस्या के सभी वारिसान के नाम इंतकाल तस्दीक करना चाहिये था ऐसा न कर केवल मात्र ग्यारस्या के पुत्र प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम ही इंतकाल तस्दीक करनें का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी का शामलाती रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम पंचायत को कब्जें के बाबत् जानकारी कर इंतकाल तस्दीक करना चाहिये था ऐसा न करनें में कानूनी त्रुटि की है। इस कारण पारित किया गया आदेश खारिज होनें योग्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 उक्त इंतकाल की आड में भूमि अपनें नाम खातें दर्ज करवा ली और अपीलाण्ट को काश्त नहीं करनें दे रहा है तथा उसे रहन, बैचान करनें पर आमादा है जिसको रोका जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीया को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व अपील करना ही बैकार हो जावेगा।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि ताफैसला अपील प्रतिपक्षीगण को पाबंद किया जावें कि विवादित भूमि वाके ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद की ख0नं0 28 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 538 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 539 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 757 रकबा 0.34 हे0, ख0नं0 861 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 1462 रकबा 0.30

हे0, ख0नं0 1465 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 7 रकबा 2.68 हे0 भूमि को कही पर रहन, बैचान नहीं करें मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1, 5, 6 व 10 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पर बिना जवाब प्रस्तुत किये ही विद्वान वकील प्रतिपक्षीगण द्वारा बहस की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में उभयपक्ष द्वारा निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. छायाप्रति नामान्तरकरण सं0 936 वाके ग्राम देवपुरा
2. छायाप्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.2008
3. छायाप्रति नकल जमाबंदी ग्राम देवपुरा सं0 2035–38
4. छायाप्रति नकल जमाबंदी भू–प्रबंध ग्राम देवपुरा सं0 2043–62
5. छायाप्रति एफ0आई0आर0 दिनांक 07.07.2017 थाना सुल्तानपुर
6. छायाप्रति एफ0आई0आर0 दिनांक 03.02.2018 थाना सीमलियां
7. छायाप्रति नकल जमाबंदी ग्राम देवपुरा सं0 2068–71 खाता नं0 51

बाद साक्ष्य विद्वान् वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किये कि नामान्तरकरण सं0 936 में गुलाब व कंचन की मृत्यु बताकर नाम डिलीट कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण बिना मृत्यु की जांच किये दर्ज किया गया है। अतः मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान करें।

विद्वान वकील प्रतिपक्षी नं0 1 ने बहस में कथन किये कि बाबूलाल, औंकार के वारिसान के रूप में संस्थित हुआ है। नामान्तरकरण सं0 663 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नट्टी बाई पत्नी बाबूलाल को भूमि बैचान करनें पर दर्ज किया गया है। यदि नामान्तरकरण सं0 936 गलत दर्ज किया गया है तो गुलाब व कंचन को आपत्ति होनी चाहिए। भैरूलाल व गोपाल के वारिसान द्वारा अपनें हिस्से की 1/5, 1/5 भूमि बैचान की जा चुकी है। अतः स्थगन खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील प्रतिपक्षी नं0 10 नें कथन किये कि विवादित आराजी का मूल खातेदार ग्यारस्या था। नामान्तरकरण सं0 936 में गुलाब व कंचन की मृत्यु होनें से नाम खारिज किया गया। यदि भूमि का बैचान हो गया तो विवाद बढ जायेगा।

विद्वान वकील प्रतिपक्षी नं0 6 ने दौरानें बहस कथन किये कि मेरें द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खरीद की गई है। मेरें द्वारा केसीसी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा होनें से केसीसी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः मेरें हिस्से की निषेधाज्ञा खारिज की जावें।

बहस रिपीटल में विद्वान वकील प्रार्थीया ने कथन किये कि रिलीज डीड औंकार के पक्ष में आलेखित हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार बहस रिपीटल में वकील प्रतिपक्षी नं0 1 ने कथन किये कि हमारे द्वारा एफआईआर की नकल प्रस्तुत की गई है, उसके एफआर लग चुकी है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया, दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष के कथनों पर विधि सम्मत विचार किया तथा प्रार्थीया के द्वारा वॉच्छित रिलीफ का भी अवलोकन किया। हस्व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 51 में स्थित भूमियों में गीताबाई पत्नी मोहनलाल हि0 7/25, उंकार पिता ग्यारस्या, गुलाब, कंचन बेटी ग्यारस्या हि0 3/5 हि0ब0, नट्टी बाई पत्नी बाबूलाल हिस्सा 3/5 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। नामान्तरकरण सं0 936 से सहखातेदार मृतक गुलाब व कंचन का नाम औंकार पुत्र ग्यारस्या के पक्ष में खारिज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीया के विवादित भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व फिलहाल प्रमाणित नहीं है। किन्तु जमाबंदी सं0 2035–38 वाके ग्राम देवपुरा से भैरूलाल के स्वत्व प्रमाणित है तथा प्रार्थीया भैरूलाल की पुत्रवधु है। जिसके स्वत्व का निर्धारण होना शेष है। अतः प्रकरण में प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आंशिक रूप से पाया जाता है।

प्रार्थीया का विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई स्टैटस प्रकट एवं प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थीया का विवादित भूमि के किसी भाग पर कब्जा हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। परन्तु प्रार्थीया द्वारा कब्जे बाबत् मात्र कथन किये है, जबकि पत्रावली

ई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि या विवादित भूमि के किसी हिस्से पर वे काबिज़ काश्त है। इसके विपरीत अभिलिखित खातेदार का कब्जा होने की अवधारणा है। प्रार्थीया विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रही हैं। अतः प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं पाया जाता है।

आर0आर0डी02000 पेज 28 बउनवान श्रीमती सुमित्राबाई बनाम बृजमोहन की नजीर में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट उल्लेखित है कि '' ***सुविधा संतुलन के लिये यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से***''

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिपक्षी नं0 6, 7 व अन्य के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, और प्रतिपक्षी नं0 6, 7 व अन्य विवादित आराजी के वर्तमान में अभिलिखित सहखातेदार है। प्रार्थीया के विवादित आराजी पर स्वत्व तय नहीं हैं इसके विपरीत प्रतिपक्षीगण के रिकॉर्ड के अनुसार तो स्वत्व प्रकट होते हैं। किन्तु प्रार्थीया के स्वत्व का निर्धारण होना शेष है जो मूल अपील के निर्धारण उपरान्त होना है। यदि अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त कर दी जाती है तो विवादित भूमि का बैचान, अन्तरण हो सकता है तथा प्रार्थीया के स्वत्व प्रभावित हो सकते है, यदि विवादित भूमि को बैचान/अन्तरण कर दिया जाता है तो अनावश्यक वाद बाहुल्यता भी बढेगी। विवादित आराजी को आगे बैचान/अन्तरण किया गया तो प्रार्थीया के स्वत्व प्रभावित होनें की पूर्ण संभावना है तथा प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है। साथ ही हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि प्रतिपक्षी नं0 6 नट्टी बाई द्वारा सीता बाई, महेश कुमार एवं सन्जू पिता रामनारायण का 3/25 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद किया है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में भी अमल हो चुका है। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जानें से प्रतिपक्षी नं0 6 अपनें हिस्से की भूमि के उपयोग, उपभोग से वंचित है। जिसे अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाना भी आवश्यक है।

प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय अपील पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थीया के इस प्रार्थना